

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 03/2016

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा

बनाम

1. सीमा कवर पत्नि गिरधारी सिंह जाति राजपूत निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए 1955

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

: अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक: 16-3-18

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा ग्राम पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा स्थित भूमि खसरा नं. 7/38 से 7/72, 368/73 से 368/76, 7/368 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा, जिसमें से 20 बीघा 19 बिस्वा किस्म खातली एवं 15 बिस्वा किस्म खातली संवत् 2010 में भूमि होना व्यक्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के द्वारा राज्य सरकार को दिये गये निर्देशो के परिपेक्ष में पुनः उक्त प्रश्नगत भूमि को गैर मुमकिन नदी दर्ज किये जाने हेतु, यह रेफरेन्स माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में पेश किया गया। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा से स्थानान्तरण होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में पेश हुआ।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पीलवा तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नं. 7/38 से 7/72, 368/73 से 368/76, 7/368 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा, जिसमें से 20 बीघा 19 बिस्वा

अति० जिला कलक्टर
दौसा



रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 03/2016

किस्म खातली एवं 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी संवत 2010में दर्ज रिकार्ड थी इसके पश्चात भूमि एकीकरण अभिलेख संवत 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नं. 15 मि0 बने, एवं भूमि बन्दोबस्त अभिलेख संवत 2041-60 में खसरा नं. 189/1228 रकबा 0.40 है0 किस्म खातली दर्ज किया गया एवं रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2067-70 में खसरा नं. 189/1228 रकबा 0.40 है0 मे से खसरा नं. 189/1249 रकबा 0.25 है0 किस्म खातली खातेदार सीमा कवर पत्नि गिरधारी सिंह जाति राजपूत निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी जरिये उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 30.11.2004 द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 189/1249 रकबा 0.25 है0 किस्म खातली खातेदार सीमा कवर पत्नि गिरधारी सिंह जाति राजपूत निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा को आवंटन की गई थी। जो नामान्तरकरण सं. 327 दिनांक 15.12.2005 द्वारा सीमा कवर पत्नि गिरधारी सिंह जाति राजपूत निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई तथा नामान्तरकरण सं. 417 दिनांक 01.05.2008 द्वारा खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई। वर्तमान में जमाबन्दी संवत 2067-70 अनुसार खाता सं. 293 में उल्लेखित उक्त आराजी भूमि खसरा नं. 189/1249 रकबा 0.25 है0 किस्म खातली खातेदार सीमा कवर पत्नि गिरधारी सिंह जाति राजपूत निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा के नाम दर्ज रिकार्ड है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.04 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर गैर मुमकिन नदी, नला भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश दिये है। अतः प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 232 आर.टी.ए. 1955 के तहत प्रस्तुत रैफरेंस स्वीकार कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों को निरस्त कर दिनांक 15.08.1947 की प्रविष्टियों को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश फरमावे।

हमने राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि साबिक खसरा नं. 7/38 से 7/72, 368/73 से 368/76, 7/368 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा, जिसमें से 20 बीघा 19 बिस्वा किस्म खातली एवं 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी संवत 2010 में खातली दर्ज रिकार्ड थी, जिसमें से खसरा नं. 189/1249 रकबा 0.25 है0 किस्म खातली, उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 30.11.2004 द्वारा आवंटन किये जाने पर खातेदार सीमा कवर पत्नि गिरधारी सिंह जाति राजपूत निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में किस्म खातली दर्ज रेकार्ड रही है व वर्तमान

अति० जिला कलेक्टर

दौसा



रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 03 / 2016

में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार दौसा को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावे एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार दौसा को भिजवाई जावे व फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)

अति० जिला कलेक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 16-3-18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)

अति० जिला कलेक्टर दौसा

